

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई - अगस्त, 2002 सत्र

विनिक बार्ची सूची

शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त, 2002 (श्रावण 11, 1924)

समय 10.30 बजे दिन 138 (१)

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः विलित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापनात्तर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 (19.01.2001-18.01.2002) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 35 की उपधारा (३) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (१) के अधीन ध्यान आकर्षित

(1) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, जुगल किशोर, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, सतना जिले में हत्या सहित अनेक आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, भोपाल शहर में वाहनों की प्रदूषण जौच निजी एजेन्सी से कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) चौधरी राकेश सिंह, सर्वश्री राजनारायण सिंह, नित्यनिरजन खम्परिया, सदस्य, इंदिरा सागर परियोजना के इब्ब प्रभावित किसानों के प्रकरणों में विस्तारित होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नर्मदा घाटी विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री खेमराज पाटीदार, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री मुज्जा सिंह, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत लिलीखेड़ी के पत्रों का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य, इंदौर जिले के सांचेर क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री भगवत सिंह पटेल, मुश्तिलाल, सदस्य, रायसेन जिले के बरेली ग्राम में बालक का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, भूपेन्द्र सिंह, कमल पटेल, सदस्य, मध्यप्रदेश में पानी रोको अभियान के अंतर्गत किये गये कार्यों में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर बन रेंज में अवैध रूप से पत्थरों का उत्खनन किये जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, गुना एवं विदिशा जिले के ग्रामों में फ्लोरोइडयुक्त पानी पीने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य योग्यता का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री मगनलाल गोडल, सदस्य, टीकमगढ़ शहर स्थित शासकीय महाविद्यालय के छात्रों को प्रताङ्कित किये जाने की ओर उच्च विद्या मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री कंकर मुजारे, सदस्य, दलिया जिले के उच्चाव-बालाजी ग्राम के एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले में रेत उत्खनन में रायल्टी की ओर खानिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री बाबूलाल गौर, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, मंदसीर पुलिस की हिरासत से कैदी के फरार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल में असेचालित मदरसों को अनुदान की राशि का वितरण किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, नरेन्द्र बिरथरे, कमल पटेल, सदस्य, राजगढ़ जिले की ग्रामीण बैंक गोदाटपुर शाखा के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

